न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 103/2010

सायलान :–	बनाम	गैरसायलगण :–
1.प्रहलाद पुत्र बिरमाराम 2.केलकी बेवा बिरवाराम 3.सहदेव पुत्र गोकलराम 4.जवरीलाल पुत्र गोकलराम 5.पप्पुराम पुत्र गोकलराम 6.गंगादेवी पुत्री गोकलराम 7.मंगला पुत्र रूधनाथ फौत वे कायम मुकामानः– 7/1 माणकराम पुत्र मंगला 7/2 बगदाराम पुत्र मंगला जतियान–चौकीदार "बावरी" निवासी–ग्राम बस्सी "आ. कालू" तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1.मुल्तानराम पुत्र रूघनाथ 2.सादूराम पुत्र रूघनाथ जातियान–चौकीदार निवासी–बस्सी "आ. कालू" तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीपी</u>

<u>तारीख रजू:.16/09/2010</u>

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।

2 श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, गै0सा0।

दिनॉकः– 14/07/2015

–:: निर्णय ::–

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान संख्या एक व दो की वंश वृक्षावली मूल पुरूष रूघनाथ के वारिसान बिरमा गोकलराम मंगलाराम उगदाराम मुल्तानराम सादूराम हुए तथा बिरमा के वारिसान प्रहलाव व केलकी हैं। गोकलराम के वारिसान सहदेव जवरी पप्पू व गंगा हुए तथा मंगलाराम के वारिसान माणक बगदा हुए। उगदाराम नाऔलाद फौत हुआ। राजस्व मौजा–बस्सी पटवार हल्का–आ0कालू–द्वितीय, तहसील–जैतारण में सायलान व गैरसायल एक व दो व वाद का प्रतिवादी संख्या तीन शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1324 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसमे से 1/2 हिस्सा सुगना का है। तथा शेष 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का है। उक्त आराजी सायल व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गैरसायल की संयुक्त व शामलाती है। जिसका अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हुआ हैं। नकल चालू जमाबन्दी के साथ पैश की जा रही है। आराजी को प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी के नाम से आगे जाना जायेगा। विवादित आराजी सायलान व गैरसायल की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसके बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नही हूआ हैं। सायलान अपने इस भूमि पर बैंक से साख पत्र बनाना चाहते है व ऋण लेना चाहते है। सायलान की वर्तमान में इस भूमि पर मूंग व बाजरी की फसल सायलान के हिस्से में बोई हूई है। अब गैरसायलान सायलान के हिस्से की भूमि व खड़ी फसल को लेकर व कब्जे काश्त को लेकर विवाद करना चाह रहे है। दिनांक 07/08/2000 को मौके पर निराई गुड़ाई के समय विवाद भी किया। तब सायलान ने अपने हक हिस्से का बंटवाडा करवाने का कहा, तो भी गैरसायलान नही माने व गैरसायलान संख्या एक व दो बंटवाडा करवाने स्पष्ट रूप से ईन्कार हो गये व विवाद कर रहे है। सायलान अपने हक हिस्से की आराजी का बंटवाडा कराने का वैधानिक रूप से अधिकारी हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा का विरूद्व गैरसायलान के पेश किया है। सायलान के हक हिस्से की भूमि पर होकर के शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। गैरसायलान संख्या एक व दो की नियत खराब हैं। वे जबरदस्ती सायलान की खडी फसल को हड़प करना चाह रहे है। व मौके पर जमीन के बंटवाडा को लेकर विवाद कर रहे है। मूंग व बाजरी की फसल सायलान ने ही बोई है। जिसको लेकर गैरसालान विवाद कर रहे है। सायलान शांतप्रवृति के व्यक्ति है। जबकी गैरसायलान बदमाश प्रवृति के है। अगर गैरसायलान जबरदस्ती सायलान को इस आराजी से बेकाबिज कर दिया तो सायलान हमेशा हमेशा के लिये अपनी पैतृक व पुश्तैनी आराजी से वंचित हो जायेगे। जिससे सायलान को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही है। सायल गैरसायल की ऐसी अवैध बेदखली की कार्यवाही का विरोध करेंगे, जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। गैरसायलान को ऐसा अवैधानिक कृत्य करने से रोका जाना आवश्यक है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व गैरसायलान के पेश किया है। समस्त तथ्यो व परिस्थितियो दस्तावेजात् एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार का सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान सायलान को हिस्से की भूमि पर अवैध रूप से सायल को बेदखल कर देते है तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यानकन मुद्रा में नही आंका जा सकता है। इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के हिस्से में गै0सा0 दखलन्दाजी करते हैं। प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता हैं। गै0सा0 संख्या 1 व 2 को जबाब पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश नहीं करने से जबाब

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

न्द किया जाता हैं। उभय पक्षकारों को कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–बस्सी पटवार हल्का–आ0कालू–द्वितीय, तहसील–जैतारण में सायलान व गैरसायल एक व दो व वाद का प्रतिवादी संख्या तीन शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1324 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि में उभय पक्षकारों को कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु वाद निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाकर पाबन्द किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मूम्बलिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner